# *छत्तीसगढ़ सूचना आयोग*

*निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़*
*शंकर नगर, रायपुर*

*अपील प्रकरण क्रमांक 871/2008*

1. श्री अनिल त्रिपाठी, — *अपीलार्थी*
सम्पादक, अनुरोधक,
छुईखदान, जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी,
वन विभाग, गण्डई, जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

*//आदेश//*
*(दिनांक 27 मार्च, 2009)*

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी अनिल त्रिपाठी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी, वन विभाग, गण्डई के समक्ष दिनांक 16.02.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 24. 05.2008 को अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के बाद भी पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.08.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक को अपीलार्थी ने अपूर्ण जानकारी मिलने का उल्लेख किया था, अतः निर्देश दिये गये थे कि शेष जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क दी जावे और अपूर्ण जानकारी के संबंध में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी श्री एस0के0 शर्मा को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावे । उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर उनके द्वारा अंतिम सुनवाई दिनांक 17.03.2009 को प्रस्तुत किया गया, चूंकि इस सुनवाई दिनांक को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे थे, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर श्री एस0के0 शर्मा की व्यक्तिगत सुनवाई की गई । सुनवाई के बाद डाक से अपीलार्थी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने उक्त सुनवाई दिनांक को उपस्थित होने में असमर्थता बताते हुए निर्णय से असंतुष्ट होकर उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति का उल्लेख किया है । इस संबंध में आयोग से किसी प्रकार की अनुमति मॉगने या आयोग द्वारा अनुमति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा अपीलार्थी किसी भी न्यायालय में जाने के लिये स्वतंत्र है । अपीलार्थी ने यह भी अनर्गल आरोप लगाया गया है कि अधिकारी को सरंक्षण देते हुए सुनवाई के पूर्व और बाद में बंद कमरे में कुछ निर्देश दिये गये, किन्तु इसका कोई आधार नहीं है और अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु यदि कोई तर्क थे तो आकर प्रस्तुत करना चाहिए था । प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग ने जानकारी देने में हुये विलंब के लिए क्षमा–याचना की है और चूंकि उनका स्थानांतरण गण्डई से कटघोरा हो चुका है तथा गण्डई की

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

जानकारी विलंब से मिलने और दैनंदिनी लिखने में हुई देरी का कारण बताया है तथा यह भी बताया है कि दिनांक 09.03.2009 को कोरियर द्वारा शेष रही जानकारी उनके द्वारा अपीलार्थी को भेजी जा चुकी है । श्री शर्मा द्वारा दिया गया उत्तर पूरी तरह से संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है, अतः विलंब एवं अपूर्ण जानकारी देने के लिए अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत श्री एस0के0 शर्मा, तत्कालीन उप वन मण्डलाधिकारी, गण्डई वर्तमान में उप वन मण्डलाधिकरी, कटघोरा पर राशि दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वन मण्डलाधिकारी, खैरागढ़ यह सुनिश्चित करें कि अब भी यदि कोई जानकारी शेष रही हो तो उसका अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क निरीक्षण करा दिया जावे और पूर्व में दी गई जानकारी अप्रमाणित होना बताया है, अतः उसे प्रमाणित करके दिया जावे तथा शेष जानकारी में से निरीक्षण उपरांत यदि कोई जानकारी अपीलार्थी चाहे तो वे भी निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में अपूर्ण जानकारी एवं विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

**(ए0के0 विजयवर्गीय)**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com